

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।
(एल-25, रामगंगा विहार-प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष संख्या-0591-2450066)

पत्रांक 30 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 15 जुलाई, 2022.

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

विषय:-

जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कांठ मार्ग (एस०एच०-49) कि०मी० चैनैज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी एवं कि०मी० चैनैज 6.870 से 22.215 तक 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने जाने हेतु 1.4118 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षा पातन की अनुमति के सम्बंध में। (प्रस्ताव सं०-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक-म०स०/67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31-12-2021

कृपया उमर्गुक्त विषयक उ०प्र० शासन के उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के उक्त संदर्भित पत्र दि० 31-12-2021 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र दि० 13-06-2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित किया गया है, अतः निर्धारित प्रपत्र में बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं प्रमाण पत्रों की 4-4 प्रतियाँ मूल में संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को अवगत कराने का कष्ट करें:-

Condition No	Conditions	Status of Compliance
1	संरक्षित वन भूमि में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-1)
2	सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइपा लाईन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-2)
3	सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइपा लाईन हेतु खेदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00मीटर से अधिक न होगी	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-3)
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-4)
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-5)
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-6)
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-7)
8	भूमि का सरफेस राइट्स नहीं दिया जायेगा एवं वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-8)
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा नियोजन प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ० सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के अनुसार निर्धारित धनराशि रु०-1352192/- का भुगतान ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से ई-चालान सं०-7249544676 दि 16-05-2022 UTR No-BARBR52022060800956408 dt 08-06-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India

		Branch, 52 Sunder Nagar, New delhi-110003 IFSC Code-UBIN0534498 में जमा की जा चुकी है। (ई-चालान की छायाप्रति संलग्न है।)
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-10)
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-11)
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी(पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-जे-11013/41/2006-आई0ए0-11(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-12)
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक:-13)
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफसी, दि० 8-7-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-14)
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	लागू नहीं। (संलग्नक:-15)
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-16)
17	परियोजना में गैस पाइपलाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अत एवं प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-17)
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07-01-2011 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइपलाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है:- (1) सी०एन०जी/गैस पाइपलाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियाँ, जो लगातार गैस पाइपलाईन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण की शर्त यथावत् लागू रहेगी। (2) ऐसी कम्पनियाँ, जो गैस पाइपलाईन के द्वारा केवल एक शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइपलाईन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैस वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-18) शर्त सं०-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 20 कि०मी० 03 लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु आवश्यक धनराशि रु०-8241000 मात्र दिनांक 22-10-2021 को डी०डी० सं०-007060 दिनांक 22-10-2021 के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी सम्मेलन वन प्रभाग, सम्मेलन में जमा करायी जा चुकी है। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक:-18)

	अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करान के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	
19	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-19)
	CA amount as per Proposal	0/-
	CA amount deposited	0/-
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	1352194/-
	NPV amount deposited	1352194/-
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	Any other amount deposited-(Complete details be provided)	82,41,000/- (20 कि०मी 3 लाईनों में वृक्षारोपण)
	CAMPA Confirmation	Online payment confirmatin Slip

संलग्नक:- 4 प्रतियाँ मूल में।

(भवदीय,
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित:-
1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ।
2- श्री प्रभाष कुमार, प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद।
3- लेखा लिपिक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद।
4- क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुरादाबाद।

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

TGPL/CGD/GA-83/MBD/2022/ 44
Date: 13.06.2022

सेवा में,

 श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी,
 वन प्रभाग, मुरादाबाद
 उत्तर प्रदेश।

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं) कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
 (प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाइपलाईन/49544/2020)

सन्दर्भ:- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021. एवं आपके कार्यालय के पत्रांक 1866/14-1 दिनांक 17.01.2022 एवं 3053/14-1 दिनांक 14.06.2022.

महोदय,

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 31.12.2021 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसके क्रम में आपके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन हेतु लिखा गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या व प्रमाण-पत्रों की 05-05 प्रतियां मूल में संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें-

Condition No.	Condition	Status of Compliance
1	2	3
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-1)
2	भूमिगत गैस पाइप लाईन/मार्गों/सड़को/ वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-2)
3	गैस पाइप लाईन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-3)

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300



4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोंदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-4)
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-5)
6	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-6)
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-7)
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-8)
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू० 1352194/- का भुगतान ई-चालान संख्या 7249544676 दिनांक 16.05.2022 UTR NO. BARBR52022060800956408 दिनांक 08.06.2022 के माध्यम से सिधे Union Bank of India 52 Sunder Nagar New Delhi-110003, IFSC Code UBIN0534498 में जमा कि जा चुकी है। ई-चालान की छाया प्रति व वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-9)
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-10)
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-11)
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी (पीटी), दिनांक-19.08.2010 तथा पत्र संख्या-जे-11013/41/2006-आई0ए0-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा	लागू नहीं है। (संलग्नक-12)

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300



	वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-13)
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक-08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-14)
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्दुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	लागू नहीं है। (संलग्नक-15)
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-16)
17	परियोजना में गैस पाईप लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-17)
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं-	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। 20 कि0मी0 क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशी रु. 8241000 मात्र दिनांक 22.10.2021 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी समभल वन प्रभाग समभल में जमा करायी जा चुकी हैं। (संलग्नक-18)
19	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-19)
(3)	उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी, स्वयं उत्तरदायी होंगे।	उक्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
	CA amount as per proposal	N.A.

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300



	CA amount deposited	-
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	1352194.00
	NPV amount deposited	1352194.00
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	Any other amount deposited (Complete details be provided) 20 Km. Row Plantation in three rows	8241000.00
	CAMPA Confirmation	Attached

अतः उपरोक्तानुसार सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेसर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।



भवदीय,

(प्रभाष कुमार)

प्रबन्धक,

टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad – 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बॉयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दॉयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनोंक 31.12.2021. के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

(संलग्नक-2)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021. के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमिगत गैस पाइलाइन/मार्गों/सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

(संलग्नक-3)

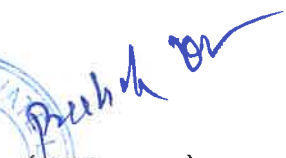
वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बॉयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दॉयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 के अनुपलान में प्रयोक्ता एजेन्सी (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद
86



(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दायी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।


प्रशासीय निदेशक
सानाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

(संलग्नक-5)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँधी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021. के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

(संलग्नक-6)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

(संलग्नक-7)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दायी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

(संलग्नक-8)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021. के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

(संलग्नक-9)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० घनराशि रू० 1352194.00, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा करा दी गयी हैं।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 16-05-2022

Agency Name.	TORRENT GAS PVT LTD
Application No.	7249544676
State Code.	UP
Address.	Torrent Gas Pvt Ltd, 1 st floor, Pridal Square Building, Majholi Chauraha, Delhi road, MoradabadMoradabad
Amount(in Rs)	1352194/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Fifty-Two Thousand One
Hundred and Ninety-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP7249544676
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 16-05-2022

Agency Name.	TORRENT GAS PVT LTD
Application No.	7249544676
State Code.	UP
Address:	Torrent Gas Pvt Ltd, 1 st floor, Pridal Square Building, Majholi Chauraha, Delhi road, Moradabad Moradabad
Amount(in Rs)	1352194/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Fifty-Two Thousand One
Hundred and Ninety-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP7249544676
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: ubicampa@unionbankofindia.com



Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/49544/2020 (.../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/49544/2020) Laying gas pipeline along & across on Moradabad - Kanth road (Ch: 6.870 - 30.570 Km)	PIPF INF-495447020676	7249544576	31 Dec 2021	CA: 0/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 1352194/- NA: 0/- NA: 0/- NA: 0/- NA: 0/- Total: 1352194/-		Fund Demand Verified by 19 Jan 2022 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 16 May 2022 Transaction Date 08 Jun 2022	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/170120221709299422_FPUPPipeline49544) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELINE1



BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power to Empower

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



Open Government Data (OGD) Platform India

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



UTR Detail.

Pymt date	Narrative	Debit
08.06.2022	RTGS-BARBR52022060800956408-UTTAR PRADESH CAMPA-UN	13,52,194.00



(संलग्नक-10)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021. के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

पत्रांक : 1955 / अनुमति-प्रा0 / 2020-21
सेवा में,

दिनांक : 11/04/2020

प्रबन्धक
टोरेट गैस प्रा0लि0,
मुरादाबाद।

विषय :- Permission for laying of underground Gas Pipeline 6" Dia Carbon Steel Pipeline & 125mm dia MDPE Pipeline in the same trench From Ranveer Petrol Pump to Kanth Filling Station towards (Kanth Road) and Aghwanpur-Hakimpur Road & Seruwa Village via Green Solution CNG Station Ladavli towards (Kanth Road) on SH-49 in the state of Uttar Pradesh.

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-TGPL/GA-83/2020-21/MB/8 Dated 18-08-2020

उपरोक्त विषयगत मार्ग पर गैस पाइप लाईन डालने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार इस खण्ड से सम्बन्धित निम्न मार्ग पर गैस पाइप लाईन डालने हेतु टोरेट गैस प्रा0लि0 मुरादाबाद द्वारा इस खण्ड के पत्रांक :-1748/प्रा0 दिनांक :- 30.07.2020 द्वारा जारी किये गये माँग पत्र के क्रम में जमा की गयी रू0 2667000.00 (छब्बीस लाख सडसठ हजार मात्र) की बैंक गारण्टी संख्या-OGT0009200045575 दिनांक 13.08.2020 एवं रू0 23070.00 (तेईस हजार सत्तर मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या-006244 दिनांक 17.08.2020 द्वारा गैस पाइप लाईन डालने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करने की संस्तुति की जाती है :-

क्र0सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)
1	2	3
1	मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-49) के चैनैज	23.070

प्रतिबन्ध यह है कि :-

1. गैस पाइप लाईन हेतु रोड कटिंग की सुरक्षित स्तर तक मरम्मत लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कर दी जाये।
2. गैस पाइप लाइन को मार्ग की लेपित सतह से कम से कम 1.50 से 2.50 मीटर दूरी एवं 1.20 मीटर गहराई में मार्ग के तटबंध के किनारे डाला जाए। किसी भी दशा में रोड कटिंग में मार्ग की लेपित सतह (Bituminous Surface) एवं फुटपाथ को क्षतिग्रस्त न किया जाए।
3. रोड कटिंग का कार्य सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ सम्पादित कराया जाये। किसी भी दुर्घटना/हादसे की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. रोड कटिंग में किसी अन्य विभाग/एजेन्सी की यूटिलिटी लाइन को क्षति न पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। ऐसी किसी प्रकार की क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. रोड कटिंग की अवधि में यातायात के सुगम संचालन में कोई बाधा न उत्पन्न की जाये एवं यातायात के संचालन हेतु आवश्यक उपाय/ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।
6. मार्ग के किसी भी स्थान पर मार्ग की लेपित सतह पर ओपेन कट/ट्रैन्च न बनायी जाये। उक्त रोड क्रासिंग एच.डी.डी.विधि से की जाये।
7. भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण अथवा अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित होने पर गैस पाइप लाईन को आपको अपने व्यय पर शिफ्ट करना होगा।
8. यह अनुमति मात्र उपरोक्त वर्णित स्थल, कार्य एवं समयावधि के लिये ही मान्य है किसी भी दशा में अन्यत्र स्थल पर रोड कटिंग न की जाये।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्य न करने की स्थिति में यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाये एवं विभाग द्वारा आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक :- प्रकरण मूल में।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद
दिनांक :

पत्रांक : / अनुमति-प्रा0 / 2020-21

प्रतिलिपि :-

1. सहायक अभियन्ता-तृतीय, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

(संलग्नक-11)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉट मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021. के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाईसेंस है तथा उसे सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।


प्रशासीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद



(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

PNGRB/CGD/BID/9/2018/GA/83/Uttar Pradesh -Bid Evaluation

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

प्रथम-तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली - 110001

1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi - 110001

13th September, 2018

To

Torrent Gas Private Limited

Samanvay, 600, Tapovan,

Ambawadi, Ahmedabad-380015

Subject: Grant of Authorization to Torrent Gas Private Limited for development of City Gas Distribution Network in the Geographical Area of Moradabad (Except areas already authorized) District.

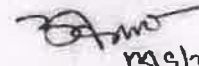
Sir,

With reference to submission of Performance Bank Guarantee for Rs. 33 Crores vide your letter dated 28.08.2018, as per the requirement under Regulation 10(1) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, please find enclosed authorization in Schedule D for the GA of Moradabad (Except areas already authorized) District in duplicate.

2. The tariff applicability is as per the Judgment of Hon'ble Supreme Court of India in the SLP No. 22273 of 2012.
3. You are requested to put your stamp & signature on each page of the document and return one copy, within 7 days of receipt of this communication, to the PNGRB for records.
4. The enclosed authorization issues with the approval of the Board.

Yours faithfully,

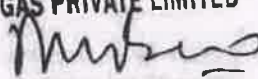
Encl: As above


13/9/2018

(Arvind Kumar)
Additional Adviser



For, TORRENT GAS PRIVATE LIMITED


Authorized Signatory

अरविन्द कुमार
ARVIND KUMAR
अपर सलाहकार
Additional Adviser
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
1st Floor, World Trade Centre
बाबर रोड, नयी दिल्ली-110001
Babar Road, New Delhi-110001




प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुसदाबाद

(संलग्नक-12)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021. के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी (पीटी), दिनांक-19.08.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है, लागू नहीं हैं।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

(संलग्नक-13)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021. के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

FORM-I

(for Plantation on non-Forest land and notified as "protected Forest" on or after 13th December 1930 and Located in Villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of the District Collector/Magistrate Moradabad

No..2163/14-1

Dated..6./2./2021

TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 [as amended vide the forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (Conservation) second amendment Rules 2014, and forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 1.4118 hectares of Protected forest land proposed to be diverted (Only for "right to use" without any change in ownership and legal status of the forest land) in favour of Torrent Gas Private Ltd. "for laying of gas pipeline, (SH-49) Moradabad-Kanth road between Km Chainage No-6.870 to 22.215 on Left side and Km Chainage No-22.215 to 30.571 on Right side in Moradabad district in the State of Uttar Pradesh" falls within jurisdiction of PWD Moradabad. village Mora Mustkam to Phoolpur Mithanpur in Moradabad tehsile having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

- The Protected Forest(s) namely **Moradabad-Kanth Road** involved in the above villages are Plantation raised on non-Forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification No 1115/XIV-331-50 dated 10-02-1960;
- Therefore, these PFs neither have residing Scheduled tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more then 75 years) having rights recognized under forest Right Acts, 2006.

Encl:Notification.

1/4 4/2/2021
(Kanhaiya Patel)
Divisional Director,
Social Forestry Division,
Moradabad.

(Rakesh Kumar Singh)
District Collector,
Moradabad



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुआदाबाद

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक-08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।


प्रभागीय निदेशक
सानाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

(संलग्नक-15)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दायी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है, लागू नहीं हैं।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद




(प्रभाष कुमार)

प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021. के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद



(प्रभाष कुमार)

प्रबन्धक,

टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बॉयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दौयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-17 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना में गैस पाईप लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान कर दिया गया है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद




(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

(संलग्नक-18)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दायी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021. माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा कर दिया गया है।


प्रभाषीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

वचनबद्धता

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कॉठ मार्ग (एन०एच०-49) कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बॉयी पटरी, एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दॉयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.4118 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाईपलाईन/49544/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या भा०स० 67/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


प्रभागीय निदेशक
सानाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

पत्रांक- 814 / 14 -1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक

23/10/2021।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु शर्त के कम में 20 किमी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 784/11-सी लखनऊ दिनांक 07.09.2021।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि अधिशासी निदेशक, टोरेन्ट गैस (टी०जी०पी०एल०/टी०जी०एम०एल०) लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय के Ref No:- TGPL/TGML/FOR/LKO/2021/46 दिनांक 22.10.2021 के माध्यम से सम्मल वन प्रभाग, सम्मल के अन्तर्गत 20 किमी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्राक्कलन की वांछित धनराशि रुपये 8241000.00(रुपये बयासी लाख इकतालीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या 007060 दिनांक 22.10.2021 इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

संख्या- 814 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी निदेशक, टोरेन्ट गैस (टी०जी०पी०एल०/टी०जी०एम०एल०) साईबर हाईट विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस (टी०जी०पी०एल०/टी०जी०एम०एल०) मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद